

पत्रांक : 29/बी०एस०जी०-01/2017-18/.....³¹⁰...../बजट

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 29/06/2017

विषय : प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव 2017-18 को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


महोदय,

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक संख्या-811, दिनांक 27.06.2017 द्वारा झारखण्ड विधान सभा का मॉनसून सत्र दिनांक 11.07.2017 से आहूत किये जाने की सूचना है। झारखण्ड विधान सभा के मानसून सत्र आहूत होने के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अनुपूरक प्रस्तुत किया जाना है। प्रथम अनुपूरक में निम्न प्रकार प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे :-

- (i) जिस मद में भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय सेक्टर स्कीम में हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप बजट में संशोधन अपेक्षित हो,
- (ii) ऐसे प्रस्ताव जिसके लिए पूर्व में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है एवं ऐसा किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो,
- (iii) स्कीम से सम्बन्धित प्रस्तावों पर योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) की सहमति प्राप्त कर ली गयी हो अथवा, उद्व्यय में संशोधन किया गया हो।
- (iv) विगत वर्षों में केन्द्र प्रायोजित स्कीम या केन्द्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो और उसका व्यय नहीं किया गया हो।
- (v) स्थापना व्यय मद में समतुल्य राशि के प्रत्यर्पण सहित प्रस्ताव।
प्रस्ताव योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के **website https://10.92.194.8\ budgetjhr → budget → supplementary first** पर **online** उपलब्ध कराया जाय।

अनुपूरक सम्बन्धी प्रस्ताव योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि दिनांक 05.07.2017 के अपराह्न 6.00 बजे तक निर्धारित की गई है।

विश्वासभाजन,




(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-01/2017-18/...310.../बजट, राँची, दिनांक : 29/06/2017


प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची/प्रभारी सचिव, विधान सभा, सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29.6.2017
(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-01/2017-18/...310.../बजट, राँची, दिनांक 29/06/2017

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदा०/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



29.6.2017
(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-01/2017-18/...310.../बजट, राँची, दिनांक : 29/06/2017

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि तदनुसार Online Budget (C.O.B.T) की साइट को अद्यतन कर लिया जाय।


29.6.2017
(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।